

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(16)न्याय/24

जयपुर, दिनांक

**विषय:—कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण—पत्र आदि दस्तावेज के सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने बाबत।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने चयन कर चयनित सूची भिजवाई है। आयोग द्वारा नियुक्ति से पूर्व नियुक्तकर्ता को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण—पत्र आदि की जांच मूल प्रमाण—पत्रों से करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतः निम्न तालिका में अंकितानुसार चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र(10वीं, 12वीं एवं विधि स्नातक आदि), अनुभव प्रमाण—पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मेडिकल ऑफिसर से प्राप्त कर मूल एवं अतिरिक्त प्रति), विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना का प्रमाण—पत्र, दहेज नहीं लेने/देने का परिवचन/घोषणा—पत्र, धूम्रपान एवं गूटखा सेवन न करने का वचन पत्र (विभागीय वेबसाईट पर सभी प्रपत्र उपलब्ध हैं), दो पासपोर्ट साईज फोटो (फोटो के पीछे नाम व मैरिट नं. अंकित) एवं यदि राजकीय सेवा/केन्द्रीय कार्यालय/संस्था में पूर्व से नियोजित है, तो वहां से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र आदि के साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को प्रातः 10:00 बजे कमरा नं.—1032, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थित होने का श्रम करें:—

S. No.	Merit No.	Roll No.	Category	Name (Mr./Smt./Miss)	Father's Name (Shri)	Birth Date	Presence Date
1	131	202122 9	GE,EX	KAILASH CHAND SHARMA	KANHAIYA LAL SHARMA	14.10.1980	08.11.2024
2	124-A	201645 6	BC,BL	RUPESH KUMAR	ROSHAN LAL	07.01.1984	08.11.2024
3	66-A	205629 6	EWS,WE	MAMATA SHARMA	KAPIL SHARMA	19.08.1985	08.11.2024
4	31-A	206382 3	GE	SIDDHARTH SINGH RAJPUROHIT	DOONGAR SINGH RAJPUROHIT	11.09.2000	08.11.2024

उक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में विभाग की वेबसाईट [www.law.rajasthan.gov.in](http://www.law.rajasthan.gov.in) का समय-समय पर अवलोकन करते रहे, जिससे नियुक्ति पत्र/पदस्थापन तथा अन्य संबंधित सूचना आपको प्राप्त होती रहे। यदि कोई आवश्यकता हो तो वेबसाईट पर उपलब्ध दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उक्त अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. उप शासन सचिव, सुरक्षा/स्वागत कक्ष, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों को शासन सचिवालय, जयपुर परिसर में प्रवेश की अनुमति दिलवाये जाने का श्रम करावें।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित अभ्यर्थी।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव ANKIT RAMAN  
<ankitraman.ar@gmail.com>

Digitally Signed by ANKIT  
RAMAN  
Designation: Joint Secretary  
Date :06-11-2024 05:03:16